1/6/16 पत्रावली वकील वादी के प्रार्थनापत्र पेश करने पर तथा प्रतिवादी के वकील तथा वादी अधिवक्ता वकील वादी ने प्रार्थनापत्र के वाद निवेदन किया है कि वादी अपने वाद अपनी वादी नाम से होना चाहिए किन्तु गलत हो गया है समझौता हो चुका है अतः इस वाद के आगे कार्यवाही नहीं करते हैं केवल प्रकरण प्रस्तुत प्रार्थनापत्र लिखा गया है। वादी के वाद की संस्था पर कार्यवाही शेष की जाती है। प्रकरण केवल इस लेख पर निस्तारित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:40:44 IST
Reason: SelfAttested